(13)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु. 10

TEN RUPEES Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

65AA 014411

स्टाम्प 10/- नकल नम्बर 521 सन 2009 पर लगा है।

पढ़ा—सुना—स.र. II

न्यायालय तहसीलदार सदर कानपुर नगर

वाद सं0 978/08-09

महावीर सह0आ0स0 बनाम श्रीमती सुशीला देवी

धारा-34/35 एल0आर0 एक्ट

मौजा-बैरी अकबरपुर कछार कानपुर नगर।

निर्णय

प्रस्तुत नामान्तरण वाद प्रार्थी द्वारा पंजीकृत बैनामा के आधार पर प्रस्तुत करते हुए विक्रीत भूमि पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम अंकित किये जाने की प्रार्थना की है।

नियमानुसार इश्तहार जारी किए गए जो वाद तामीली शामिल पत्रावली है। किसी ओर से कोई आपत्ति दाखिल नही हुई। वादी द्वारा साक्ष्य में मूल बैनामा, नकल उद्धरण खतौनी व शपथपत्र, दाखिल किए गए। मौखिक साक्ष्य मे क्षेत्रीय लेखपाल ने बयान करते हुये कथन किया है कि विक्रीत भूमि पर क्रेता का ही कब्जा व दखल है। विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नही है। विक्रीत भूमि के0डी0ए0 आदि की नही है।

मैंने पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया तथा उपलब्ध साक्ष्य को पढ़ा। पत्रावली पर दाखिल पंजीकृत बैनामा से आराजी निजाई का प्रार्थी के हक मे विक्रय किया जाना एवं विक्रीत भूमि पर क्रेता का ही कब्जा व दखल सिद्ध है। अतएव वादी का नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि ग्राम बैरी अकबरपुर कछार की खाता खतौनी 1410 फ0 लगायत 1414 फ0 खातासं0 263 खसरा0सं0 1044/0.328है0 व 1090/0.051है0 कुल 2 किता कुल रकबा 0.379है0 के जुज रकबा 0.095है0 मालगुजारी 60पै0 पर विक्रेती श्रीमती सुशीला देवी पत्नी श्री प्रेमशंकार निवासिनी म0नं0 48/39 लाटी मोहाल कानपुर नगर का नाम पृथक करके पंजीकृत बैनामा दि0 07-12-01 के आधार पर क्रेता महावीर सहकारी आवास समिति लि0 कानपुर नगर द्वारा सचिव ए0के0 जैन पुत्र जे0के0 जैन निवासी 73 आर0एस0पुरम् काकादेव कानपुर नगर का नाम बतौर सहकृषक/संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात किया जावे। बाद अमल दरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांक :- 18/5/09

तहसीलदार (सदर)
कानपुर नगर

सुशीला देवी

(13)

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु.

Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THO

Arvind Ku... ADVOCATE

|| श्री गणेशाय नमः ||

मैं कि श्रीमती सुशीला देवी आयुग पत्नी श्री प्रेमशंकर निवासिनी मकान नम्बर ४८।३८ लाठी मोहाल शहर कानपुर की हूँ।

लिखित हूँ कि मेरा मुक़िरा आराजी भूमिधरी नम्बरी १०४४ रकबा ०.३२८ हे० व १०६० रकबा ०.०५१ हे० कुल दो किता कुल रकबा ०.३७९ हे० यानि १।।।)२ स्थित मौजा बेरी अकबरपुर बांगर परगना व तहसील व जिला कानपुर

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs. 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(२)

नगर के १४ भाग की तन्हा मालिक, काबिज दखील
बा रिया उपर्युक्त भूमिधर काश्तकारिया है। मिन
मुकिरा के हिस्से में अन्य कोई ज्यादा हकदार व हिस्से-
दार नहीं है और न ही भागीदार है। कब्जा भी मिन
मुकिरा का है तथा नाम भी दर्ज कागजात सरकारी
भूराजस्व अभिलेखों में बमाना मिलकियत है। मिन मुकिरा
की जुमला जायदाद विवरण निम्नलिखित आज दिन
तक जुमला बार इकफालत से बरी पाक व साफ है।
कहीं रेहन, बय्यहिबा, मुस्तगुल, जमानत आदि नहीं है
तथा किसी डिग्री व इजराये डिग्री में कुर्क अथवा वासते

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(3)

नीलाम नहीं है। तथा मिन मुकिर की किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा आज दिन तक उक्त जायदाद को विक्रय आदि करने से भी नहीं रोका गया है। उक्त जायदाद किसी न्यायालय या मोहकमा सरकारी द्वारा आजदिन तक अधिग्रहण नहीं की गयी है और न ही मिन मुकिर को अधिग्रहण करने सम्बन्धी कोई नोटिस ही प्राप्त हुयी है तथा मिन मुकिर की उक्त जायदाद बैंक लोन आदि में बन्धक नहीं है तथा कोई बकाया इनकम टैक्स या सेल टैक्स भी नहीं है। गरजे कि जायदाद उपरोक्त आज दिन तक हर प्रकार से पाक व साफ है तथा मिन मुकिर की उक्त

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

जायदाद विवरण निम्नलिखित को बजरिये बयनामा विक्रय करने का पूर्ण अधिकार मालिकाना हासिल है। चूँकि मन मुकिर को घरेलू खर्च सामग्री व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रुपया की सख्त आवश्यकता दरपेश है। जो कि बिना बेचे हुये आराजियात उपरोक्त विवरण हस्ब जैल मिन मुकिर की जरूरत पूरा नहीं हो सकती है। लिहाजा मिन मुकिर ने उक्त आराजियात विवरण निम्नलिखित को बेचना उचित समझ कर बेचने का बावत इश्तहार आमन्त्रित की तो उक्त आराजियात को सह मालिक, काबिज मदनलि मुरलीधर सहकारी आवास समिति ने

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(५)

लि० मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर मालरोड शहर कानपुर जरिये सचिव श्री एस० के० जैन बालिग पुत्र श्री जे० के० जैन निवासी मकान नम्बर ७३ आर० एस०पुरम काकादेव शहर कानपुर विल एवज मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया में मिन मुकिर का १/४ भाग विवरण निम्नलिखित को खरीद करने पर तैयार व रजामन्द है, कीमत निहायत मुनासिब व वाजिब है, तथा मिन मुकिरा को मौसूल तसलीम है। इससे ज्यादा कीमत में उक्त जायदाद नहीं बिक सकती है। उपरोक्त खरीदार समिति ने उक्त कुल आराजियात का निस्फ भाग पहले ही सह-काश्तकारान शिवप्रसाद वगैरह से क्रय कर लिया है। लिहाजा

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(६)

बहालत नैहल जात व खास नम्बर बहुहस्ती छोड़,

तमामशुदा जिनमें मय निशानों के मय जुमला हक हकूक

दाखिली खारिजी दखल व नाफदा बिना छोड़े हुए

किसी चीज के मय हकूक मालिकाना व इन्तकाली सहित

बिल एवज मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ

पचास रुपया जिसके आधे मुबलिग २३,१२५/- तेइस

हजार एक सौ पच्चीस रुपया सिक्का हिन्द सरकार मुनियम

के होते हैं, बदस्त महावीर सहकारी आवास समिति लि०

मुख्य कार्यालय सिटी सेन्टर मालरोड, शहर कानपुर जरिये

सचिव श्री ए० के० जैन आत्मज श्री जे० के० जैन निवासी

सुशीला देवी

सुशीला देवी

11/95

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. Rs 1000

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(७)

मकान नम्बर ७३ आर० एच० पुरम काकादेव शहर कानपुर के क्रय करार कर दिया यानि वैध हाथा कुल कीमत मिन मुकिरा ने उक्त खरीदार समिति से निम्न तफसील के अनुसार नकद वसूल पा लिया है। निस्बत जर समन अब एक भी पैसा पाना जिम्मे खरीदार समिति के शेष नहीं रह गया है। मिन मुकिरा ने आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा से अपना कब्जा दखल मालिकाना व वाकई कतई मौके से हटा कर मि॰ अपने कब्जा दखल मालिकाना व वाकई जायदाद मुबैया हाजा खरीदार समिति का करा दिया तथा मालिक, कायम करा दिया, खरीदार समिति आज की तारीख से जायदाद मुबैया हाजा की एक मात्र मालिक,

सुशीला देवी
सुशीला देवी

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

काबिज दखील हो गये तथा उन्हें कुल अधिकार मालि-
काना जायदाद मुबैना बाला की निस्बत हासिल हो गये।
उक्त खरीदार समिति को अधिकार होगा कि वह जायदाद
मुबैना बाला पर मालिक, काबिज दखील रह कर जिस
प्रकार से चाहे अपने उपयोग व प्रयोग में लावें। शर्त
मुकिरा व वारिसान मुकिरा को कोई उजूर व एतराज न
होगा। खरीदार समिति को चाहिए कि वह अपना नाम
कागजात सरकार में बतौर मिल्कियत दर्ज करा लेवे, तथा
दर्ज नाम मिन मुकिरा खारिज करा देवे। इसकी रजामन्दी
एवं सहमति हमारे द्वारा समझी जावेगी। फिर भी यदि

सुशीला देवी

सुशीला देवी

1000 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

1000 Rs.

Rs 1000

सत्यमेव जयते

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

(६)

कोई अन्तराय पड़ी तो मुकिर अपनी तहरीरी व जुबानी रजामन्दी देने को पाबन्द रहेगा। मिन मुकिर ने जायदाद मुबैया छाता के पूर्ण रूप से मालिक व काबिज होने का मकान व स्वामित्व खरीदार समिति को करा दिया है। फिर भी यदि मुकिर के फेल या लापरवाही या नुक्स मिल्कियत आदि की वजह से जायदाद मुबैया छाता का कुल या कुछ भाग कब्जा खरीदार समिति के हक से निकल जाये या खरीदार समिति को जायदाद मुबैया छाता का निस्बत आज दिन तक का बाबत कुछ भी अदा या खर्च करना पड़े तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुकिर व वारिसान

सुशीला देवी

सुशीला देवी

मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा की होगी। और महिदार समिति को अधिकार होगा कि वह अपना कुल अरकान मय हरजा खर्चा के मुकिरा की दीगर जान माल जायदाद मनकूला व गैर मनकूला से जिस प्रकार से चाहे दाम दाम नकद वसूल पा लेवे। इसमें मुकिरा व वारिसान मुकिरा को कोई उजुर व एतराज न होगा। लिहाजा शरायत दस्तावेज हाजा की पाबन्दी मुकिरा व वारिसान मुकिरा व कायम मुकामान वारिसान मुकिरा पर लाजिम व वाजिब होगी।

सुशीला देवी

सुशीला देवी

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs.100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

(११)

लिहाजा बदुरुस्ती होश हवास बिला किसी दबाव

नाजायज के स्वस्थ मन बुद्धि चित्त व इन्द्रियों की स्वस्थ

दशा में यह सनद लिखा यानि कि वसीयतनामा करके तहरीर कर

दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आये।

विवरण जायदाद पुख्ता ।

आराजियात भूमिदारी नम्बरी १०४४ एक हजार

चवालिस रकबा ०.३२८ हे० शून्य दशमलव तीन दो आठ

हे० व आराजी भूमिदारी नम्बरी १०६० एक हजार साठ

रकबा ०.०५२ हे० शून्य दशमलव शून्य पांच दो हे० कुल

सुशीला देवी

सुशीला देवी

68

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs.100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

(१२)

दो किता कुल रकबा ०.३७६ हे० यानी रकबा १।।।)२ मे
एक बीघा सत्तरह बिस्वा स्थित मौजा बैरी अकबरपुर कछार
परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर का १।४ एक
बटा चार भाग विक्रय किया गया है। भूमि बेचने की
आज्ञा अर्बन सीलिंग कार्यालय (सक्षम प्राधिकारी
महोदय नगर भूमि सीमारोपण) कानपुर से बजरिये
पत्र संख्या ६८०/भूमि ... ६५ प्राप्त कर ली गई।
स्टाम्प ड्यूटी सरकारी निर्देशानुसार सर्किल रेट
२,००,०००/- रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से ७०,५००/-

सुशीला देवी
सुशीला देवी

20 Rs

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

२० रु.

TWENTY RUPEES

20 RS

(१३)

रुपया पर मुबलिग १०,२२५।- रुपया की अदा कीगयी है। अब मेरा कोई हिस्सा बाकी नहीं रहा। मुकिरा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की नहीं है। जोत नम्बर २ उनाव कलानपुर है।

चौहद्दी-

पूरब- आराजी नम्बर १०६१

पश्चिम- आराजी नम्बर १०८६

उत्तर- हिस्सा आराजी,

दक्षिण- आराजी मिलकियती परिवार समिति

तमलीक बैनामा की माल मुबलिग ९६,२५०।- [illegible] हुआ करो मे पचास रुपया।

सुशीला देवी

सुशीला देवी

SRS

INDIA

पाँच रुपये

FIVE RUPEES भारत FIVE RUPEES

मुबलिग ४६,२५०/- छियालिस हजार दो सौ पचास रुपया

समक्ष श्रीमान् सब रजिस्ट्रार महोदय कानपुर के रूबरू ने

उपरोक्त खरीदार समिति से नकद वसूल पा लिया है निस्बत

बयनामा अब कुछ भी बकाया बाकी जिम्मे खरीदार के शेष नहीं रहा।

तहरीर तारीख- २४-११-१९९५ ई०

सुशीला देवी

सुशीला देवी

गवाह१- [illegible] S/o [illegible]
[illegible]

गवाह-२ [illegible]
R/o [illegible]

टाइपकर्ता-
[illegible]
राजेश कुमार सिंह,
ला० नं० ८३ कोर्ट कानपुर

DRAFTED BY ME
[illegible]
...ad Kumar S...
ADVC

क्रम सं० ......
पुलिस ....
मुकदमे ......
....

न्यायालय ....
वाद संख्या 9781
आदेश दि० 1-8-5-9
वापसी दि० 28-5-9

क० सं० 1718 ई० .... रजिस्ट्री
कार्यवाही स्थगित की गई।

लिपिक
24/11/98

क० सं० 74
कार्यवाही ....

लिपिक 22-12-2000

.... 22-2-2000
.... 1538
.... 292
.... 10/74

[illegible]

.... 2016 के पृष्ठ 01/05 .... 292/2000
.... 07/12/2001 ....

.... 11

सत्य प्रतिलिपि

सहायक अभिलेखागार
....
दिनांक 8-4-09